

फा. सं. डब्ल्यू 02/0003/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)जी एल – XXVI/18

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन,  
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003  
दिनांक : 03 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 तथा वर्ष 1992 के आधार पर औद्योगिक महंगाई भत्ता वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के/उस स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा असंगठित पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान ।

\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19.7.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-लोउवि (मजूरी कक्ष) के पैरा 4 का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध-III में वर्णित महंगाई भत्ता योजना के अनुसार त्रैमासिक औसत सूचकांक 1099(1960=100) से अधिक मूल्यवृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते की किशतें प्रति वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर से देय हो जाती हैं।

2. इस विभाग के दिनांक 04.07.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1992 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंगठित पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

(क) जिस तारीख से देय है : 01.10.2018

(ख) जून, 2018- अगस्त, 2018 तिमाही का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संबंधित 1960=100)

जून, 2018	6641
जुलाई, 2018	6872
अगस्त, 2018	6872
तिमाही का औसत	6795

(ग) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 5696 अंक (6795-1099)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में % वृद्धि: 518.3% (5696/1099\*100)

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए मंहगाई भत्ते की दरें

मूल वेतन प्रतिमाह	मंहगाई भत्ते की दर
3500/- रुपए तक	वेतन का 518.3% परन्तु न्यूनतम 11392/- रुपए
3500/- रुपए से अधिक तथा 6500/- रुपए तक	वेतन का 388.7% परन्तु न्यूनतम 18141/- रुपए
6500/- रुपए से अधिक तथा 9500/- रुपए तक	वेतन का 311% परन्तु न्यूनतम 25266/- रुपए
9500/- रुपए से अधिक	वेतन का 259.1% परन्तु न्यूनतम 29545/- रुपए

3. मंहगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए तथा 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में वर्ष 1987 का आईडीए पैटर्न वेतनमान अपनाने वाले निदेशक मण्डल स्तर के तथा इस स्तर से नीचे के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को दिनांक 01.10.2018 से देय औद्योगिक मंहगाई भत्ते की राशि निष्प्रभावन की पुरानी प्रणाली के अनुसार 2.00 रुपए प्रति अंक की दर से 222 अंकों की वृद्धि के लिए 444/- रुपए तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6795 पर 12179.75 रुपए मंहगाई भत्ता देय होगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

२१२१  
(समसुल हक)  
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

२१२४  
(समसुल हक)  
अवर सचिव